2200 करोड़ रु. की जमीन पर कब्जा लेने गई हाऊसिंग बोर्ड टीम पर पथराव

बी-2 बाईपास से द्रव्यवती नदी तक 42 बीघा अवाप्तशुदा जमीन पर कब्जा लेने गई थी टीम

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । बीटू बाइपास से द्रव्यवती नदी तक 2200 करोड़ रुपए की 42 बीघा जमीन पर गुरुवार को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की टीम कब्जा लेने गई थी। कब्जाधारियों ने हाउसिंग बोर्ड टीम का विरोध किया और जेसीबी पर पत्थर फेंके। पथराव में किसी को चोट नहीं आई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उप-आवासन आयुक्त संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम गुरुवार को दोपहर 3 बजे मौके पर जेसीबी मशीन लेकर पहुंची थी। यहां जेसीबी मशीन से जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल, कोठरियां और अन्य अतिक्रमणों के निर्माण को तोडऩा शुरू किया तो वहां रहने वाले कुछ लोगों ने विरोध जताया और हंगामा कर दिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने जेसीबी पर कुछ पत्थर फेंक दिए। इससे घबराए हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी।

उप-आवासन आयुक्त संजय शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड की टीम पर पथराव जैसा कुछ नहीं हुआ। किसी को कोई चोट नहीं आई है। टीम ने कार्रवाई कर करीब 20 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाकर अपने कब्जे में ले लिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।

बीटू बाइपास चौराहे से द्रव्यवती नदी तक 42 बीघा से ज्यादा जमीन की हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने वर्ष 1989 में अवाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 1991 में प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन तब कब्जा नहीं लिया गया। इस बीच जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति के पट्टे के आधार पर कॉलोनी बसा दी और भूखंड का बेचान दिखा दिया। ये बेचान वर्ष 1981 में जमीन खरीद के आधार पर बताया गया। बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े रसूखात लोगों को भूखंड कौडिय़ों के दाम बेचे गए।

वर्ष 2019 में कॉलोनी के नियमन को लेकर जेडीए ने एनओसी मांगी, लेकिन आवासन मंडल के तत्कालीन आयुक्त ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। मंडल ने तर्क दिया कि जब जमीन पर 50 फीसदी निर्माण ही नहीं है तो नियमन क्यों किया जा रहा है? सोसाइटी के खिलाफ एफआई भी दर्ज करवाई गई। मामला एसीबी को भेज दिया गया। ग्राम चैनपुरा एवं दुर्गापुरा की 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति ने सदस्यों के पक्ष में नियमितीकरण की प्रक्रिया जेडीए में प्रारंभ कर दी थी।

वर्ष 2019 में हाउसिंग बोर्ड भी जेडीए को इसके नियमितीकरण के लिए एनओसी देने की तैयारी में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 भूखंडधारियों के मामले में यह निर्देश दिया था कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा सिविल न्यायालय में जमा कराई गई मुआवजा राशि बोर्ड को वापस लौटा दी जाए। तब पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड आयुक्त की जिम्मेदारी संभालते प्रकरण की जांच कर एनओसी रोक दी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण (अवाप्ति) को निरस्त नहीं किया था। इस आधार पर रिट याचिका भी दायर की गई।

गौरतलब है कि बी-2 बाइपास स्थित श्रीराम कॉलोनी से जुड़ी विवादित करीब 42 बीघा जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने हाल ही में हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने जेडीए की ओर से 29 मई 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और इसके बाद के आदेशों को अवैध माना है।

31 जुलाई 1981 के समझौता विक्रय को भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। जस्टिस गणेश राम मीणा ने बोर्ड की याचिका मंजूर कर निजी पक्ष की 3 याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि संबंधित भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई बोर्ड के पक्ष में पूर्ण मानी जाएगी। समझौता विक्रय से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता। धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश, भले वह अंतिम रूप ले चुका हो, वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि 12 फरवरी 2002 को एकलपीठ से गलत तथ्यों के आधार पर आदेश प्राप्त किया गया था, इसलिए रद्द किया जाता है।

- मौके पर काबिज लोगों ने हाऊसिंग बोर्ड के अफसरों का विरोध करते हुए जेसीबी पर पत्थर फेंके
- राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी

अवाप्तशुदा जमीन पर कब्जा लेने पहुंची हाऊसिंग बोर्ड की टीम को विरोध झेलना पड़ा।

सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय : मुख्यमंत्री

'अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण कर्त्तव्यनिष्ठा से काम करेंगे तो आमजन को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी को शपथ दिलाई।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय है, जहां से राज्य की सभी नीतियों एवं योजनाओं की शुरूआत कर आमजन को लाभान्वित किया जाता है। सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो सरकारी कामकाज में तेजी आती है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। शर्मा गुरुवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा और नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाए।

- समयबद्ध पदोन्नति से 15 पद सृजित करने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने

समारोह में मुख्यमंत्री ने समयबद्ध पदोन्नति से 15 और पद सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जिन कैडर में पदोन्नति के लिये पूर्व में छूट नहीं मिल पाई, उनके लिये 2 वर्ष की छूट की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते सवा 2 साल में कार्मिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति दी जा रही है, ग्रेच्यूटी सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। आरजीएचएस में महिला-पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। अधिकारियों को रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्मिकों के कल्याण के लिए अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में पुत्रवधू को शामिल, एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 6 चरणों में स्वीकृति तथा महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर एवं तनावमुक्त वातावरण देने के लिए "मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन" की स्थापना जैसे प्रावधान किए हैं। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

राजस्थान चैस एसोएिशन के चुनाव पर लगी अंतरिम रोक हटी

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान चैस एसोएिशन के चुनाव पर एकलपीठ द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक हटा दी है। इस आदेश के बाद एसोसिएशन के नए अध्यक्ष लक्ष्मण राठौड़, महासचिव विनेश कुमार शर्मा और कोषाध्यक्ष शैलेश गुप्ता का कार्यकाल शुरू होगा, जिसका चुनाव 4 मार्च 2026 को पूर्व में हो चुका है। इस मामले में याचिकाकर्ता राजस्थान चैस एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और सहायक अधिवक्ता अलंकृता शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए थे। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाए।

इस मामले में पूर्व अध्यक्ष महावीर रांका के चयन के खिलाफ वर्ष 2021 में शिकायत सहकारिता रजिस्ट्रार को दर्ज हुई थी। उसी बीच तत्कालीन सचिव अशोक भार्गव को हटाकर विनेश शर्मा को सचिव नियुक्ति करने का फैसला बोर्ड मीटिंग में लिया गया। बाद में एक और शिकायत दर्ज हुई, जिसमें कहा गया कि, महावीर रांका को चुनाव नहीं लड़ना था। इसके बाद रजिस्ट्रार ने मामले की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिया। इस जांच अधिकारी को हटाए गए सचिव अशोक भार्गव ने कुछ दस्तावेज दे दिए, जो कि उस समय सचिव के पद पर नहीं थे। इस घटनाक्रम के बीच 17 नवंबर 2024 को महावीर रांका व अशोक भार्गव की ओर से रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पूछा गया कि, जब तक इस प्रकरण की जांच चल रही है, तब तक क्या चुनाव करवाए जा सकते हैं? जबकि समिति का कार्यकाल सितंबर-2025 तक था। इस बीच रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया कि, जांच पूरी होने तक चुनाव नहीं करवाए जा सकते।

जब यह मामला हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष पहुंचा तो न्यायाधीश गणेशराम मीणा ने 25 फरवरी 2026 को आदेश दिए थे कि, एसोसिएशन चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अशोक कुमार भार्गव की ओर से कहा गया कि, राजस्थान चैस एसोसिएशन की पुरानी कार्यकारिणी को कुछ अनियमित्ताओं का दोषी पाया है। इसी कार्यकारिणी ने रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। ऐसे में चुनाव के परिणाम को स्थगित किया जाए। इस तर्क को मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने समिति पर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दे दिए थे। साथ ही 4 मार्च 2026 को करवाए गए चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

अब हाईकोर्ट की खंडपीठ में बताया गया कि, एकलपीठ ने 25 फरवरी को दिए गए अपने ही आदेश को गलत पढ़ लिया, क्योंकि अदालत ने एसोसिएशन को चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र किया था। पूर्व में भी ऐसा हो चुका है, कि पूर्व कार्यकारिणी पर जांच बैठने के बावजूद चुनाव करवाए गए हैं, जो कि पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुए।

कैंसर पीडित पत्नी के पति का तबादला आदेश पर रोक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कैंसर पीडित पत्नी के स्कूल व्याख्याता पति का तबादला करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अदालत ने अपीलार्थी को पूर्व की स्कूल से ही पद का वेतन देने को कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश गोपाल सिंह की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी उदयपुर के फतेह सूरजपोल स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता पद पर तैनात है। हाल ही में उसने एसआईआर की ड्यूटी पूरी की है और अब वह व्याख्याता पद का कार्यग्रहण करना चाहता है। इस बीच विभाग ने उसका तबादला राजसमंद कर दिया। अपील में कहा गया कि अपीलार्थी की पत्नी ब्रेन ट्यूमर से पीडित है और बीते चार साल से उदयपुर में नियमित उपचार ले रही है। ऐसे में अपीलार्थी का तबादला करने से उसकी पत्नी का इलाज प्रभावित होगा। अपील में कहा गया कि अपीलार्थी के पद पर किसी अन्य को पदस्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा एकलपीठ ने याचिकाकर्ता सहित तबादलों से जुड़ी कई याचिकाओं को एक सामान्य आदेश से खारिज कर दिया था। इस दौरान याचिकाकर्ता के तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में अपीलार्थी के तबादले पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलाथी के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।

- हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
- कोर्ट ने अपीलार्थी को पूर्व की स्कूल से ही पद का वेतन देने को कहा है।

सेफ्टी टैंक की दो कुई ढही, मलबे में दबे मजदूर की मौत

जयपुर । हरमाड़ा क्षेत्र में गुरुवार को दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। बैनाड़ भैरूजी मंदिर के पास निर्माण कार्य के दौरान सेफ्टी टैंक की दो कुई ढहने से मजदूर मलबे में दब गया। देर तक चले रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब मजदूर टैंक के अंदर काम कर रहा था। अचानक कुई की दीवार भरभराकर गिर गई और वह मलबे में दब गया। इसी दौरान पास की दूसरी कुई भी ढह गई, जिससे मलबा और बढ़ गया तथा मजदूर पूरी तरह दब गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस व बचाव दल मौके पर पहुंचे। भारी मलबा हटाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। कड़ी मेहनत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया।

सार-समाचार

अनियंत्रित कार रैलिंग पर चढ़ी

जयपुर । राजधानी के गांधी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए रेलिंग पर चढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार घटना सुबह गांधी नगर मोड़ पर हुई। तेज गति से आ रही कार अचानक असंतुलित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद करीब 4 फीट ऊंची रेलिंग पर चढ़ गई। घटना के समय सड़क पर यातायात का दबाव कम होने के कारण अन्य वाहन इसकी चपेट में नहीं आए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई। कार चालक ने तत्परता दिखाते हुए क्रेन की सहायता से वाहन को रेलिंग से नीचे उतरवाया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया। थानाधिकारी भजन लाल ने बताया कि हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है, हालांकि कार क्षितग्रस्त हुई है।

हाईकोर्ट ने उपायुक्त को तलब किया

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में वकील की ओर से गंदगी के चलते बीमार होने का आरोप लगाने पर नगर निगम के मालवीय नगर जोन उपायुक्त को 28 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 31 मई, 2012 को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिंदुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से इन बिंदुओं की पालना नहीं की जा रही। याचिका में कहा गया कि बिरला मंदिर के पीछे गणेश नगर कॉलोनी में उनके निवास के आसपास काफी मात्रा में गंदगी है। जिसके चलते वे बीमार हो गए और दस दिन तक हाईकोर्ट में मुकदमों की पैरवी के लिए नहीं आ पाए। इसके अलावा वहां अवैध पार्किंग और पशु डेयरी भी चल रही है। नगर निगम को कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर अदालत ने स्थानीय जोन उपायुक्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

बीकानेर में ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विद्युत आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीकानेर स्थित 400 केवी जीएसएस की क्षमता को 630 एमवीए से बढ़ाकर 1130 एमवीए किया गया है, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति अब पहले से अधिक स्थिर, मजबूत और निर्बाध हो सकेगी तथा अक्षय ऊर्जा की निर्बाध निकासी सुनिश्चित होगी। प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि बीकानेर के रायसर-जयपुर रोड स्थित 400 केवी जीएसएस पर 400/220 केवी, 500 एमवीए का नया ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया है। इसके संचालन से न केवल तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को अब बेहतर गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध होगी। बार-बार होने वाली वोल्टेज समस्या, ट्रिपिंग और लोड कटौती में उल्लेखनीय कमी आयेगी। परियोजना के पूर्ण संचालन के बाद इस जीएसएस से जुड़े आसपास के 6 अन्य 220 केवी स्टेशनों पर भी लोड का संतुलन बेहतर होगा। इससे घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को अधिक निरंतर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। विशेष रूप से बीकानेर एवं आस-पास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए यह उन्नयन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। किसानों को सिंचाई हेतु नियमित एवं पर्याप्त विद्युत उपलब्ध होने से कृषि कार्यों में दक्षता बढ़ेगी एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।

55 दिन तक उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटी नवजात

जयपुर । चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की एमसीएच विंग में नवजात शिशु देखभाल इकाई ने सुदृढ़ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का सार्थक उदाहरण पेश किया है। यहां महज 900 ग्राम वजन की गंभीर बीमारियों से जूझ रही नवजात को नया जीवन मिला है। चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ ने इस नवजात का 55 दिनों तक उपचार एवं पूरी देखभाल की, जिससे अब यह बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई है।

चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और आरसीएच निदेशक डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि उदयपुर के निजी अस्पताल में 19 फरवरी को डेलवास निवासी प्रसूता हेमलता ने सिजेरियन डिलीवरी के जरिए बच्ची को जन्म दिया था। जन्म के समय बच्ची का वजन मात्र 900 ग्राम था और उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी। निजी अस्पताल में महंगे उपचार के कारण बच्ची रैफर होकर चित्तौडगढ़ की एमसीएच विंग में पहुंची। यहां एसएनसीयू विंग में शिशु उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। अविकसित फेफड़े, एस्फिंक्सिया, पीलिया संक्रमण और हृदय संबंधी जटिलताओं से पीड़ित इस नवजात को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जयसिंह एवं उनकी टीम ने तत्काल उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाईं।

पहले बच्ची को नली के माध्यम से आहार दिया गया, फिर स्थिति सुधरने पर पलाड़ी और अंत में प्रत्यक्ष स्तनपान सुनिश्चित किया गया। करीब 55 दिनों तक चली इस लंबी जद्दोजहद में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने दिन-रात एक कर दिया। डॉक्टर्स की मेहनत और केयर यूनिट की लगातार मॉनिटरिंग ने इस नन्ही जिंदगी को बचा लिया। अब बच्ची का वजन 900 ग्राम से बढ़कर 1650 ग्राम हो गया है और पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुकी है।

मैकडॉनल्ड आउटलेट का लाइसेंस निलंबित

गौरव टावर स्थित आउटलेट पर खाद्य तेल अनसेफ मिला था

जयपुर । शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर की गई।

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उपयोग में लिए जा रहे खाद्य तेल का टीपीसी (टोटल पोलर कंपाउंड) स्तर निर्धारित मानक 25 से काफी अधिक पाया गया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मौके से लिया गया यूज्ड कुकिंग ऑयल का नमूना जांच में 'अनसेफ' पाया गया।

प्राथमिक जांच के बाद फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किया गया था। हालांकि निर्धारित अवधि के बाद पुन: निरीक्षण में भी आउटलेट पर कई कमियां पाई गईं। इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के निर्देश पर जनहित में कड़ी कार्रवाई करते हुए फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अब उक्त आउटलेट पर किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर की टीम शामिल रही।

उधारी के पैसे को लेकर खूनी संघर्ष

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुहाना इलाके में उधारी के पैसे को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। शातिर बदमाश ने उधारी के पैसे देने का झांसा देकर युवक को बुलाया और उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश ने कार में ही चाकू से गला रेता और पेट में चाकू घोंपने का प्रयास किया, परंतु गंभीर घायल होने के बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी और कार से नीचे उतर कर धर्मकांटे तक पहुंचा और अपने परिजनों को सूचना दी।

सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर घायल अवस्था में युवक को मानसरोवर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। मेडिकल इत्तला पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी है।

गौरतलब है कि बांस बीलवा निवासी गोविंद मीणा ने रामचंद्रपुरा निवासी गोविंद बाडेवाल को करीब 30 लाख रुपए उधार दे रखे थे। मंगलवार को बाडेवाल ने फोन कर पैसे लौटाने की बात कही और गोविंद मीणा को लालबाग बुलाया। वहां मिलने के बाद आरोपी उसे अपने घर ले गया। इसके बाद रिश्तेदार से पैसे दिलवाने का झांसा देकर उसे रिंग रोड की ओर ले जाने लगा।

रास्ते में आरोपी ने अपने साथी गिरधारी जाट को भी कार में बैठा लिया। सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही दोनों आरोपियों ने मिलकर गोविंद मीणा पर हमला कर दिया। बाडेवाल ने चाकू से उसकी गर्दन और पेट पर कई वार किए, जबकि पीछे बैठे गिरधारी जाट ने रस्सी से उसका गला घोंटने का प्रयास किया।

अचानक हुए इस हमले से युवक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हमले के दौरान गोविंद किसी तरह कार से बाहर निकलकर जान बचाने के लिए भागा। वह लहूलुहान हालत में पास के एक धर्मकांटे तक पहुंचा और अपने परिजनों को सूचना दी।

सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत मानसरोवर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल इत्तला पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने गोविंद बाडेवाल और गिरधारी जाट के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

- मुहाना इलाके में हुई वारदात
- पैसे लौटाने के लिए बुलाकर चाकू से चीर दिया पेट

प्रदेश के 10 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण देगी सरकार

जयपुर में विश्वस्तरीय कौशल संस्थान एवं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेगा

जयपुर । नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) और राजस्थान सरकार मिलकर अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। इस प्रोजेक्ट का रोडमैप बनाने के लिए गुरूवार को जयपुर में 'राजस्थान स्टेट-एनएसडीसी सेक्टर स्किल काउंसिल कौशल संवाद' आयोजित किया गया। इस उच्चस्तरीय परामर्श कार्यशाला की सह-अध्यक्षता कौशल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा तथा एनएसडीसी के सीईओ अरुणकुमार पिल्लई ने की। कार्यशाला में 28 सेक्टर स्किल काउंसिल्स के सीईओ एवं वरिष्ठ अधिकारी, एनएसडीसी तथा आरएसएलडीसी की नेतृत्व टीमों ने भाग लिया। बैठक में चर्चा की गई कि, राजस्थान में प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन, हरित ऊर्जा, रत्न एवं आभूषण, विनिर्माण तथा फूड प्रोसेसिंग शामिल हैं। ऐसे में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भविष्य की जरूरतों को देखते ही दी जाए। बैठक में अकादमी के फ्यूचर स्किल्स कार्यक्रमों को स्कूलों, कॉलेजों एवं आईटीआई में एकीकृत करने पर भी जोर दिया गया। राजस्थान के कौशल इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए जयपुर में विश्वस्तरीय कौशल संस्थान एवं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी) की स्थापना तथा 10-15 सेक्टोरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओईएस) की स्थापना करने पर भी चर्चा की गई। भुवनेश्वर के वर्ल्ड स्किल्स सेंटर एवं भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क की तर्ज पर इनका विकास होगा। इस परियोजना पर राजस्थान सरकार ने 450 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

बैठक में चर्चा हुई कि, प्रदेश में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) जैसे उभरते क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्ष 2030 तक राजस्थान में लगभग 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना लक्ष्य है।

जयपुर में गुरूवार को 'राजस्थान स्टेट-एनएसडीसी सेक्टरस्किल काउंसिल कौशल संवाद' कार्यक्रम आयोजित हुआ।